विद्युत लोकपाल
मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग
पंचम तल, "मेट्रो प्लाज़ा", बिट्टन मार्केट, अरेरा कालोनी, भोपाल

प्रकरण क्रमांक L00-10/19

मेसर्स फतेह गुरू गोविंदसिंह एण्ड कम्पनी, — आवेदक
प्रोप्रा0 – श्री मनजीत सिंह बिन्द्रा,
मोहम्मदपुरा, रेणुका माता रोड़,
बुरहानपुर (म0प्र0)

विरूद्ध

कार्यपालक निदेशक (इ.क्षे.),
म.प्र. पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लि.,
पोलोग्राउण्ड, इंदौर (म.प्र.)

— अनावेदक

अधीक्षण यंत्री (संचा./संधा.) वृत्त,
म.प्र. पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लि.,
बुरहानपुर (म.प्र.)

आदेश

(दिनांक 27.02.2020 को पारित)

(01) मेसर्स फतेहगुरू गोविंदसिंह एण्ड कम्पनी प्रोप्रा0 – श्री मनजीत सिंह बिन्द्रा, मोहम्मदपुरा, रेणुका माता रोड, बुरहानपुर (म0प्र0) ने लिखित रूप से निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र दिनांक निरंक से विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम , इंदौर एवं उज्जैन क्षेत्र द्वारा प्रकरण क्रमांक W043119 मेसर्स फतेहगुरू गोविंदसिंह एण्ड कम्पनी प्रोप्रा0 – श्री मनजीत सिंह बिन्द्रा, मोहम्मदपुरा, रेणुका माता रोड, बुरहानपुर (म0प्र0) विरूद्ध कार्यपालक निदेशक, (इ.क्षेत्र) म.प्र. पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लि., इन्दौर (म.प्र.) एवं अधीक्षण यंत्री (संचा./संधा.) वृत्त, म.प्र. पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लि., बुरहानपुर (म.प्र.) में दिनांक 19.6.19 को पारित आदेश के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की है जो दिनांक 19.08.19 को प्राप्त होकर प्रकरण क्रमांक L00-10/2019 पर दर्ज की गई है । आवेदक ने अपनी अपील के साथ अपील मेमो दिनांक 06.08.19 तथा अपील मेमों के साथ कुल 19 एनेक्चर संलग्न किये हैं ।

आवेदक अपीलार्थी के अपील आवेदन में अपील की विषयवस्तु ''माननीय अधीनस्थ फोरम इंदौर द्वारा शिकायत क्रमांक 431019 में पारित आदेश दिनांक 19.06.19 को निरस्त करने बावत दर्शाई हैं तथा इस आदेश को निरस्त करने के साथ–साथ क्षतिपूर्ति के बतौर रूपये 10,000/– दिलवाये जाने संबंधी राहत की मांग की है ।

आवेदन पत्र के साथ संलग्न अपील मेमो दिनांक 06.08.19 में प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य निम्नानुसार दर्शित हैं :–

अपीलार्थी/आवेदक की फर्म के नाम से अनावेदक विभाग द्वारा एक एच.टी. केनेक्शन क्रमांक 9026904000 स्वीकृत भार 200 के.व्ही.ए. का सीजनल प्रदाय किया गया था, जिसकी सीजन अवधि माह अक्टूबर से प्रारंभ होकर माह मार्च में समाप्त होती थी ।

अपीलार्थी/ आवेदक ने उक्त कनेक्शन को पूर्ण रूप से पी.डी. करने के लिए दिनांक 01.10.18 को अनावेदक के बुरहानपुर का कार्यालय में आवेदन पत्र दिया गया था जिसके आधार पर उक्त कनेक्शन को अनावेदक क्र.2 दिनांक 31.10.18 को पी.डी. किया गया था ।

अपीलार्थी आवेदक का उक्त कनेक्शन पर जमा सुरक्षा निधि राशि 7,62,130/– रू. जिसे अपीलार्थी / आवेदक को प्राप्त करना या इस संबंध में अपीलार्थी/ आवेदक ने अनावेदक के कार्यालय में दिनांक 21.12.18, 21.1.19 एवं दिनांक 22.3.19 को आवेदन पत्र दिया था, दिनांक 15.4.19 को शिकायत पत्र के माध्यम से मांग की थी, किंतु अनावेदकगण ने उक्त राशि वापसी को ना कर के अपीलार्थी/ आवेदक की ओर दिनांक 15.3.19 का पत्र क्र. 842 जारी करते हुए अपीलार्थी / आवेदक से 4,14,858/– रू. का एक मांग पत्र जारी करते हुए संलग्न बी फार्म की प्रति भेजी थी । अपीलार्थी / आवेदक के मासिक बिल माह जुलाई 2018, अगस्त 2018, सितम्बर 2018 अक्टूबर 2018 के बिल अपील मेमों के साथ संलग्न है ।

अपीलार्थी/आवेदक द्वारा उक्त मांग पत्र का घोर विरोध करते हुए अपने अधिवक्ता के माध्यम से अपीलार्थी/आवेदक ने माननीय अधिनस्थ फोरम इंदौर के समक्ष वर्तमान शिकायत दिनांक 15.4.2019 को प्रस्तुत की थी जो पंजीबद्ध होकर शिकायत प्रकरण क्र0 4310/2019 कहलायी। जिसमें आनावेदक द्वारा दिनांक 16.05.2019 को माननीय अधिनस्थ फोरम के समक्ष अपना जवाब प्रस्तुत किया था जिसका विवरण निम्नानुसार हैः–

अनावेदक ने अपना जवाब प्रस्तुत करते हुए यह स्वीकार किया था कि उक्त कनेक्शन स्वीकृत भार, 200 के.व्ही.ए का प्रदान किया गया है जिसे पी.डी. किए जाने हेतु दिनांक 01.10.2018 को आवेदन पत्र दिए जाने पर उक्त कनेक्शन को दिनांक 31.10.2018 को स्थाई रूप से विच्छेदित किया गया था जिसकी सुरक्षा निधि राशि रू. 7,62,130/– का समायोजन किए जाने संबंधी

विवरणी प्रथम बार माननीय अधिनस्थ फोरम इंदौर के समक्ष प्रति अपीलार्थी ने प्रस्तुत की थी और उक्त कथित विवरणी के आधार पर अपीलार्थी/ आवेदक के देयक में उक्त सुरक्षा निधि राशि का समायोजन किया जाना व्यक्त करते हुए अपीलार्थी/ आवेदक की ओर कंपनी की कुल बकाया राशि रू. 4,21,331/– शेष होकर वसूली योग्य होना बताते हुए अपीलार्थी/ आवेदक के द्वारा प्रस्तुत उक्त शिकायत आवेदन पत्र को निरस्त किए जाने का निवेदन किया गया था ।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर माननीय फोरम द्वारा दिनांक 19.6.2019 को आदेश पारित किया गया है, जिससे पीडित एवं दुःखी होकर अपीलार्थी / आवेदक द्वारा वर्तमान अपील श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत की जा रही है ।

माननीय लोकपाल महोदय को वर्तमान अपील में निम्नलिखित विचारणीय बिन्दुओं को निराकृत किया जाना है, जिसका विवरण निम्नानुसार हैः–

<u>विचारणीय बिन्दुः–</u>

ए/ अपीलार्थी / आवेदक की ओर जारी किया गया माह अगस्त 2018 के बिल में दर्शित कथित एम.डी. 109 के आधार पर मांग की जा रही बिल राशि विधि अनुसार रिवाइज किए जाने योग्य है ?

बी/ अपीलार्थी/ आवेदक की ओर माह अक्टूबर 18 का बिल म.प्र. विद्युत प्रदाय संहिता की कंडिका क्र. 7.28 की मंशा के अनुरूप 07 दिन की अधिक खपत एवं अन्य राशि भी इस बिल में जोड़ी जावे या नहीं ?

सी/ अपीलार्थी /आवेदक की ओर माह नवम्बर 18 का बिल निरस्त किया जावे या विद्युत संहिता की कंडिका 8.31 के अनुसार / रिवाइज किया जावे ?

डी/ प्रतिअपीलार्थी/अनावेदक के द्वारा अपीलार्थी/ आवेदक की ओर जारी किया गया माह अगस्त 2018 का बिल कथित एम.डी. 109 दर्शाए जाने पर माह अप्रैल 2018 से माह नवम्बर 2018 की डिफरंस राशि सीजनल टैरिफ के स्थान पर नॉन सीजनल का आधार दर्शाते हुए पूरक देयक बी–फार्म जारी करते हुए रू. 4,14,858/– की मांग की गई है, जो निरस्त किए जाने योग्य है या नहीं ?

ई/ अपीलार्थी/ आवेदक वर्तमान कनेक्शन की सुरक्षा निधि राशि 7,62,130/– रू. एवं एक अन्य विद्युत कनेक्शन क्रमांक 0126904000 की जमा सुरक्षा निधि राशि रू.

1,03,009/– का विधिवत रूप से समायोजन कराए जाने के पश्चात् शेष राशि प्राप्त करने का अधिकारी है या नहीं ?

अपील के आधार:–

1/ माननीय अधिनस्थ फोरम ने वर्तमान प्रकरण के कानूनी एवं तथ्यात्मक बिन्दुओं पर गंभीरता पूर्वक अवलोकन नहीं करके गंभीर भूल की है ।

2/ माननीय अधिनस्थ फोरम ने इस बिन्दु पर भी विशेष रूप से ध्यान न देकर गंभीर भूल की है कि जब अपीलार्थी का विद्युत कनेक्शन सीजनल है और उक्त कनेक्शन का सीजन माह अक्टूबर से प्रारंभ होकर माह मार्च को समाप्त होता है तो माह अगस्त 2018 की अवधि में अपीलार्थी रात्रि 12.15 बजे किस आधार पर 109 एम.डी. का उपयोग कर सकता है, जब कि प्रतिअपीलार्थी ने माननीय अधिनस्थ फोरम के समक्ष माह जून से लगायत माह सितम्बर 2018 की एम.डी. की विवरणी भी प्रस्तुत की थी जिसमें दिनांक 28.7.2018 के रात्री 12.15 बजे के पूर्व समय 12.10 बजे 0.01 तथा दिनांक 24.7.18 समय 1.50 बजे 0.00 एम.डी. का उल्लेख है इतना ही नहीं दिनांक 07.07.18 समय 10.15 बजे 0.04 दिनांक 18/06/2018 समय 7.35 बजे 0.01 एम.डी. दिनांक 21/06/2018 को समय 5.00 बजे 0.05 एम.डी. दर्शित है इसी प्रकार दिनांक 26.8.2018 को समय 7.30 बजे 0.01, दिनांक 02.09.18 समय 6. 40 बजे 0.04 एम.डी. दर्शित होना बताया गया है । जिस पर माननीय फोरम ने ध्यान नहीं दिया है, जब कि उक्त दस्तावेज स्वयं प्रतिअपीलार्थी ने माननीय अधिनस्थ फोरम के समक्ष प्रस्तुत किया था जिसकी प्रति आवेदक/अपीलार्थी इस अपील के साथ के रूप में प्रस्तुत कर रहा है ।

3/ अपीलार्थी/ आवेदक इस महत्वपूर्ण बिन्दु पर भी विशेष रूप से श्रीमान लोकपाल महोदय का ध्यान आकर्षित कराना चाहता है कि अपीलार्थी/ आवेदक ने माह मार्च 2018 के पश्चात् से उक्त कनेक्शन से पी.डी. दिनांक तक कभी भी अत्यधिक लोड का उपयोग नहीं किया है, क्योंकि माह अगस्त 2018 में प्रतिअपीलार्थी/अनावेदक के कथन अनुसार एम.डी. कान्ट्रेक्ट डिमांड से बढ़ी हुई पाई गई है तो निश्चित रूप से उक्त अवधि की विद्युत खपत भी अधिक दर्ज होना चाहिए किन्तु उक्त अवधि की विद्युत खपत माह अगस्त 2018 में 109 एम.डी. पर मात्र 3504 यूनिट, सितम्बर 2018 में 43 एम.डी. पर विद्युत खपत 3456 यूनिट ही दर्ज हुई है । कृपया बिल देखने का कष्ट करें ।

4/ अपीलार्थी / आवेदक इस संबंध में यह बात भी स्पष्ट करना चाहता है कि माह अगस्त 2018 में कथित एम.डी. 109 उक्त कनेक्शन के केबल में फाल्ट होने के कारण ही उक्त एम.डी. अचानक तकनीकी कारणों से अधिक दर्ज हुई है जिसमें अपीलार्थी /आवेदक की किसी भी प्रकार से कोई त्रुटि या दोष नहीं है । क्योंकि उक्त अविध माह अगस्त 2018 में बारिश पानी की होने के कारण उक्त केबल में फाल्ट आया था जिसके फोटो ग्राफस माननीय लोकपाल महोदय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है तथा पूर्व में उक्त फोटो ग्राफस माननीय अधिनस्थ फोरम के समक्ष प्रस्तुत किए गए थे जिस पर भी माननीय अधिनस्थ फोरम द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया गया है ।

5/ अपीलार्थी/ आवेदक के उक्त कनेक्शन का माह अगस्त 2018 की अवधि में ऑफ सीजन था, तो किस आधार पर अपीलार्थी रात्रि के 12.15 बजे की अवधि में ऐसी कौनसी मशनरी का उपयोग कर रहा था कि इतनी अल्प अवधि में तथाकथित एम.डी. इतनी अधिक दर्ज हुई है जिसका कोई स्पष्टीकरण प्रतिअपीलार्थी द्वारा माननीय अधिनस्थ फोरम के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है, जब कि आवेदक/ अपीलार्थी ने इस संबंध में माननीय अधिनस्थ फोरम के समक्ष पेशी दिनांक 06.06.2019 को अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए वर्ष 2016–17 की माह अप्रैल से लगायत माह मार्च की विवरणी, वर्ष 2017–18 की माह अप्रैल से लगायत माह मार्च की विवरणी एवं वर्ष 2018–19 की माह अप्रैल से लगायत माह नवम्बर तक की विवरणी प्रस्तुत की थी जिसका प्रतिअपीलार्थी/ अनावेदक द्वारा कोई खण्डन नहीं किया गया है ।

6/ आवेदक / अपीलार्थी ने माननीय फोरम के समक्ष दिनांक 30.5.2019 को आवेदन पत्र प्रस्तुत कर माह अगस्त 18 में अधिक रिकार्ड की गई एम.डी. पर आपत्ति प्रस्तुत कर प्रतिअपीलार्थी से एम.आर.आई की प्रति की मांग की थी, पत्र की प्रति संलग्न है।

7/ प्रतिअपीलार्थी ने माह अगस्त 2018 में दर्ज हुई तथा कथित 109 एम.डी. को आधार मानते हुए जो अपीलार्थी/ आवेदक की ओर पैनल बिलिंग कर जो राशि अपीलार्थी/ आवेदक की ओर निकाली है वह उपरोक्त कारणों से निरस्त किए जाने योग्य है, क्योंकि अपीलार्थी/ आवेदक ने उक्त कनेक्शन का ऑफ सीजन में कोई उपयोग उपभोग किया ही नहीं है ।

8/ प्रतिअपीलार्थी ने अपीलार्थी / आवेदक की ओर माह अगस्त 2018 के बिल में कथित 109 एम.डी. को आधार मानकर माह अप्रैल 2018 से माह नवम्बर 2018 तक के बिलों को नॉन सीजनल मानते हुए उक्त अवधि की डिफरंस राशि की मांग अपीलार्थी/ आवेदक से की गई है वह भी विधि विरूद्ध होने से निरस्त किए जाने योग्य है, क्योंकि प्रतिअपीलार्थी ने अपीलार्थी/आवेदक की ओर माह अप्रैल 2018 से माह जुलाई 2018 तक की अवधि में सीजनल टैरिफ मानते हुए मासिक बिल पूर्व में अपीलार्थी/ आवेदक की ओर जारी किए जा चुके हैं इस लिए विधि की मंशा के विपरीत पुनः उक्त डिफरेंस राशि की मांग निश्चित रूप से निरस्त किए जाने योग्य है।

9/ अपीलार्थी / आवेदक ने प्रतिअपीलार्थी के यहॉ दिनांक 01/10/18 को उक्त कनेक्शन का पूर्ण रूप से विच्छेदित किए जाने का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया था जिसके आधार पर उक्त कनेक्शन को प्रतिअपीलार्थी द्वारा दिनांक 31.10.18 को पी. डी. किया गया है तो निश्चित रूप से प्रतिअपीलार्थी को माह अक्टूबर 2018 का बिल विद्युत प्रदाय संहिता की कंडिका क्र. 7.28 की मंशा के मुताबिक मात्र 7 दिवस की अधिक खपत जोड़ कर जारी किया जाना चाहिए जब कि प्रतिअपीलार्थी द्वारा उक्त 07 दिन की अवधि का बिल माह नवम्बर 18 का एक माह का जारी किया गया है वह भी निरस्त किए जाने योग्य है ।

10/ अपीलार्थी / आवेदक इस अपील के माध्यम से माननीय लोकपाल महोदय को यह भी विश्वास दिलाता है कि उपरोक्त अनुसार उक्त समस्त बिल जो विधि की मंशा के विपरीत जारी किए गए है वह विधि अनुसार रिवाइज होने पर निश्चित रूप से रिवाइज बिल एक मुश्त अपने वर्तमान कनेक्शन की जमा सुरक्षा निधि राशि एवं अन्य एक विद्युत कनेक्शन की जमा सुरक्षा निधि राशि में से समयोजन कराए जाने हेतु वचनबद्ध है और उसके पश्चात् यदि कोई राशि अपीलार्थी/आवेदक को प्रतिअपीलार्थी से लेना शेष है, तो वह उक्त शेष राशि प्राप्त करने का अधिकारी रहेगा।

11/ अपीलार्थी/ आवेदक ने प्रतिअपीलार्थी के यहॉ दिनांक 03.08.18 को दो आवेदन पत्र प्रस्तुत कर उक्त कनेक्शन की वर्ष 2015 से माह नवम्बर 2018 तक एम.आर.आई की प्रति मांग की है तथा उक्त कनेक्शन के मीटर को एवं एम.ई. सहित जांच कराए जाने का भी निवेदन किया गया है जो वर्तमान प्रकरण के न्यायिक

निराकरण के लिए न्याय उचित एवं सहायक है, उक्त दो आवेदन पत्र की प्रतियॉ संलग्न है ।

12/ अपीलार्थी/ आवेदक अन्य कानूनी बिन्दु और अन्य बिन्दु अपने अंतिम तर्क के समय प्रस्तुत करने के अपने अधिकार को सुरक्षित रखता है ।

13/ अपीलार्थी/ आवेदक वर्तमान अपील समय अवधि में प्रस्तुत कर रहा है जिसके साथ माननीय अधिनस्थ फोरम इंदौर के आदेश की प्रति भी संलग्न कर रहा है ।

अतः श्रीमान से निवेदन है कि उपरोक्त समस्त आधारों पर माननीय अधिनस्थ फोरम इंदौर के द्वारा शिकायत प्रकरण क्रमांक 4310/2019 में पारित आदेश दिनांक 19.6.2019 को निरस्त करते हुए अपीलार्थी/ आवेदक की वर्तमान अपील स्वीकार करते हुए माह अगस्त 2018 में दर्शित कथित एम.डी. 109 को अमान्य करते हुए उसके आधार पर जारी किए गए माह अप्रैल 2018 से माह नवम्बर 2018 तक की अवधि के समस्त अवैधानिक विधि विरूद्ध बिलो को निरस्त करते हुए विधि अनुरूप बिल प्रतिअपीलार्थी से रिवाज करया जावे तथा वर्तमान कनेक्शन की जमा सुरक्षा निधि राशि रू. 7,62,130/– एवं अन्य एक पी.डी. कनेक्शन की जमा सुरक्षा निधि राशि रू. 1,03,009/– का समायोजन उक्त रिवाइज बिल में कराया जावे और शेष राशि अपीलार्थी/आवेदक को प्रदान किए जाने के आदेश पारित करने की कृपा की जावे । तद्नुसार निवेदन है ।

(02) प्रकरण में दिनांक 23.09.19 , 10.10.19, 5.11.19, 13.11.19 एवं 12.12.19 की सुनवाई आयोजित की गई । दिनांक 23.09.19 को उभय पक्षों की अनुपस्थिति के कारण सुनवाई आगे बढ़ाई जाकर 10.10.19 को नियत की गई । दिनांक 10.10.19 की सुनवाई में अनावेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ तथा आवेदक के अधिकृत अधिवक्ता श्री बी.एच. अंसारी उपस्थित ।

आवेदक अधिवक्ता ने कथन किया कि आवेदक के उच्चदाब कनेक्शन पर स्थापित एम.ई. की प्रयोगशाला में जांच किए जाने हेतु निवेदन किए जाने पर अनावेदक द्वारा दिनांक 20.09.2019 को मीटर परीक्षण इन्दौर कार्यालय में आवेदक की उपस्थिति हेतु दिनांक 19.09.2019 को सूचित किया गया था, किन्तु इतनी अल्प अवधि की सूचना के कारण उनके लिए जांच में उपस्थित होना संभव नहीं था, इसलिए उनके द्वारा परीक्षण जांच की तिथि बढ़ाए जाने का निवेदन किया था, इस संबंध में अनावेदक द्वारा अभी तक कोई दिनांक सूचित नहीं की गई है । उनका कथन है कि चूंकि अनावेदक द्वारा प्रकरण में अभी तक अपना पक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है, अतः प्रकरण में सुनवाई बढ़ाई जाकर नवम्बर माह के प्रथम सप्ताह में रखी जाए ताकि तब तक

एम.ई. का परीक्षण भी पूर्ण किया जाकर जांच प्रतिवेदन के साथ अनावेदक अपना पक्ष प्रस्तुत कर सकें । तद्नुसार प्रकरण में सुनवाई की अगली तारीख 13.11.2019 नियत की गई ।

(03) सुनवाई दिनांक 13.11.2020 को आवेदक की ओर से आवेदक अधिवक्ता श्री बी.एच. अंसारी, बुरहानपुर उपस्थित तथा अनावेदक की ओर से श्री आमेर कुरेशी, कार्यपालन यंत्री, सिटी डिवीजन, बुरहानपुर उपस्थित ।

अनावेदक द्वारा सुनवाई के दौरान उक्त प्रकरण में अपने लिखित जवाब दिनांक 13.11.2019 से निम्नानुसार कथन किए :–

आवेदक की ओर उपरोक्त बकाया राशि के संबंध में विस्तृत विवरण निम्नानुसार है :–

अ. यह कि, आवेदक का कनेक्शन दिनांक 31.10.2018 को स्थाई रूप से विच्छेदित किया गया ।

ब. यह कि, आवेदक के परिसर में स्थापित उच्च दाब विद्युत कनेक्शन क्रमांक 9026904000 विद्युत भार 200 के.व्ही.ए. का सिजनल कनेक्शन था ।

स. यह कि, आवेदक/उपभोक्ता की टैरिफ श्रेणी एचवी 4.1 सिजनल थी, किन्तु उपभोक्ता द्वारा माह अगस्त 2018 में कुल अधिकतम डिमांड 109 दर्ज की गयी थी, जो कि संविदा मांग 200 के.व्ही.ए. का 34.5 प्रतिशत से अधिक है ।

टैरिफ आदेश 2018–2019 में टैरिफ श्रेणी HV 4.1 के विशिष्ट नियम एवं शर्तों के खण्ड क्रमांक (जी) अनुसार The consumer will be required to restrict his maximum demand during off season up to 30% of the contract demand. In case the miximum demand recorded in any month of the declared off season exceeds 34.5% of CD (115% of 30% of CD), the consumer will be billed under HV 3.1 Industrial tariff for the whole financial years per the tariff in force.

तदानुसार उपभोक्ता द्वारा प्रतिबंधित अधिकतम डिमांड का उल्लंघन किए जाने की वजह से उपभोक्ता को टैरिफ श्रेणी HV 3.1 औद्योगिक के नियत अनुसार वर्ष 2018–2019 की पूरक बिलिंग राशि रूपए 3,53,994/– जारी किया गया । तत्संबंध में उच्चदाब बिलिंग सेल, इंदौर द्वारा आवेदक को जारी पत्र क्रमांक 1829 दिनांक 11.12.2018 एवं बिलिंग विवरण संलग्न है ।

द. यह कि, आवेदक के परिसर में स्थापित कनेक्शन की मीटर रीडिंग हेतु प्रतिमाह 23 तारीख निर्धारित होने के कारण आवेदक को माह नवंबर 2019 में माह

अक्टूबर 2019 की दिनांक 23.10.2018 से 31.10.2018 तक का निम्नानुसार विद्युत देयक जारी किया गया, जिसका विवरण निम्नानुसार है ।

1.	23.10.2018 से 31.10.2018 तक का देयक		2,36,581/–
2.	पूरक देयक राशि		3,53,994/–
3.	बकाया राशि		7,05,163/–
4.	अन्य समायोजन	(–)	15,753/–
	कुल बकाया –		12,79,985/–
	सुरक्षा निधि समायोजन	(–)	7,62,130/–
	कुल देयक		5,17,855/–
	सरचार्ज		6,473/–
	अंतिम देयक –		5,24,328/

आवेदक के अंतिम देयक राशि रू0 5,24,328/– में आवेदक के अन्य कनेक्शन क्रमांक 0126904000 की जमा सुरक्षा निधि राशि रू0 103009/– का समायोजन के उपरांत आवेदक की ओर (524328–103009=421319) राशि रू0 4,21,319/– एवं ''बी फार्म'' राशि रू0 12/– कुल बकाया राशि रू0 4,21,331/– शेष होकर वसूली योग्य है ।

प्रति अपीलार्थी का अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील के आधार पर प्रतिउत्तर :–

01. यह कि, आवेदक का माननीय विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, इंदौर को इस आशय से आरोपित करना गलत है कि, प्रकरण के तथ्य एवं विधिक बिन्दुओं को गंभीरतापूर्वक अवलोकन नहीं करके गंभीर भूल की है, अपितु माननीय फोरम द्वारा विधिक प्रावधानों के आधार पर आदेश पारित किया गया है ।

02. कंडिका क्र0 02 के संबंध में लेख है कि, माननीय फोरम द्वारा प्रतिअपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत एम0आर0ई0 रिपोर्ट में पाई गई एम0डी0 के आधार पर निर्णय पारित किया गया ।

03. कंडिका क्र0 03 के संबंध में लेख है कि, अपीलार्थी द्वारा लेख किया गया है कि, उनके द्वारा स्वीकृत भार से अधिक भार का उपयोग नहीं है । तत्संबंध में लेख है कि भार की गणना मीटर में दर्शित एम0डी0 के आधार पर होती है एवं आवेदक के यहां माह अगस्त 2018 में अधिक एम0डी0 पायी गयी है ।

04. कंडिका क्रमांक 04 के कथन से इंकार है क्योंकि, केबल फाल्ट होने से एमडी अधिक नहीं हो सकती ।

05. कंडिका क्रमांक 05 के कथन से इंकार है क्योंकि, उच्चदाब बिलिंग प्रकोष्ठ इंदौर द्वारा दर्शित एम0डी0 के आधार पर बिलिंग की गई है, जो कि सही होकर वसूली योग्य है।

06. कंडिका क्रमांक 06 स्वीकार है । उपभोक्ता की ई मेल आय डी jassi_bindra@yahoo.com.in पर दिनांक 11.11.2019 को एम0आर0ई0 प्रेषित की जा चुकी है ।

07. कंडिका क्रमांक 07 के कथन से इंकार है क्योंकि, उच्चदाब बिलिंग प्रकोष्ठ इंदौर द्वारा दर्शित एम0डी0 के आधार पर बिलिंग की गई है, जो कि सही होकर वसूली योग्य है।

08. कंडिका क्रमांक 08 के कथन से इंकार है क्योंकि, माह अगस्त 2018 में एम0डी0 109 पाए जाने के कारण अप्रैल 2018 से नवम्बर 2018 की अवधि को नॉन सिजनल उपभोक्ता मानते हुए औद्योगिक टैरिफ के आधार पर बिलिंग की गई है। जो कि सही होकर वसूली योग्य है ।

09. कण्डिका क्रमांक 09 के कथन के संबंध में लेख है कि, विद्युत प्रदाय संहिता की धारा 7.28 में स्पष्ट उल्लेख है कि, उच्चदाब उपभोक्ता को कनेक्शन विच्छेदन हेतु 30 दिन पूर्व आवेदन प्रस्तुत करना आवश्यक है । अपीलार्थी द्वारा उच्च दाब कनेक्शन स्थायी विच्छेदन हेतु दिनांक 01.10.2018 आवेदन प्रस्तुत करने पर दिनांक 31.10.2018 को निर्धारित समय पर कनेक्शन स्थायी विच्छेदित किया गया। अपीलार्थी उच्च दाब उपभोक्ता होने के कारण बिलिंग चक्र मीटर वाचन हेतु प्रतिमाह 23 तारीख निर्धारित थी । अतः प्रतिमाह 23 तारीख निर्धारित होने के कारण आवेदक को माह नवंबर 2019 में माह अक्टूबर 2019 की दिनांक 23.10.2018 से 31.10.2018 तक का विद्युत देयक जारी किया गया, जो कि सही होकर वसूली योग्य है ।

10. कण्डिका क्रमांक 10 के कथन से इंकार है क्योंकि, अपीलार्थी को नियमानुसार बिलिंग की जाने की कारण आरोपित राशि पुनरीक्षित नहीं की जा सकती है एवं अपीलार्थी को नियमानुसार बिलिंग की गई हैं, जो कि वसूली योग्य है ।

11. कण्डिका क्रमांक 11 के कथन के संबंध में लेख है कि, दिनांक 08.11.2019 को उपभोक्ता प्रतिनिधि के समक्ष कार्या0 कार्यपालन यंत्री, मीटर परीक्षण संभाग, इंदौर द्वारा उच्चदाब कनेक्शन पर स्थापित मीटर एवं एम0ई0 जांच की गयी एवं जांच में मीटर एवं एम0ई0 सही पाई गयी । जांच रिपोर्ट की छायाप्रति संलग्न है ।

12. कण्डिका क्रमांक 12 एवं 13 कानूनी बिन्दु होने के कारण कोई विवाद नहीं है। अतः अपीलार्थी की जमा सुरक्षा निधी राशि का समायोजन आवेदक के देयक किया जा चुका है एवं आवेदक की ओर कंपनी का कुल बकाया राशि रू0 4,21,331/– शेष होकर वसूली योग्य है । निवेदन है कि अपीलार्थी का आवेदन सव्यय निरस्त कर अपीलार्थी की बकाया राशि रू0 4,21,331/– का भुगतान करने हेतु निर्देशित किया जाएं ।

अनावेदक के उक्त कथनों से ज्ञात होता है कि आवेदक का उच्चदाब कनेक्शन दिनांक 31.10.2018 को स्थाई रूप से विच्छेदित किया जा चुका था उसके पश्चात् आवेदक ने फरवरी 2019 में फोरम के समक्ष माह अक्टूबर 2018 में स्थाई रूप से विच्छेदित उच्चदाब कनेक्शन के संबंध में शिकायत प्रस्तुत की थी । माह फरवरी 2019 में फोरम के समक्ष अपनी शिकायत प्रस्तुत करते समय क्या आवेदक, जैसा कि 'मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण हेतु फोरम तथा विद्युत लोकपाल की स्थापना) (पुनरीक्षण प्रथम) विनियम 2009' की कण्डिका 2.4(डी) में ''शिकायतकर्ता'' की विनिर्दिष्ट की गई है, के अन्तर्गत शिकायतकर्ता की श्रेणी में आता था और क्या अपील के लिए भी आवेदक को शिकायतकर्ता के रूप में मान्य किया जा सकता है, के संबंध में आवेदक अधिवक्ता ने अगली सुनवाई में इस संबंध में अपना प्रामाणिक पक्ष एवं तर्क प्रस्तुत करने संबंधी कथन किया ।

प्रस्तुत लिखित अभ्यावेदनों का अध्ययन कर अपना पक्ष रखने के लिए उभयपक्षों द्वारा समय की मांग कर प्रकरण में अगली सुनवाई दिसम्बर माह में रखी जाने हेतु निवेदन किया गया ।

(04) सुनवाई दिनांक 12.12.19 में आवेदक अधिवक्ता श्री बी.एच. अंसारी, बुरहानपुर एवं अनावेदक की ओर से श्री नितिन यादव, जूनियर इंजीनियर उपस्थित हुए । अनावेदक की ओर से पुनः सूचित किया गया कि आवेदक के उच्च दाब कनेक्शन पर स्थापित मीटर एवं मीटरिंग इक्यूपमेन्ट की जांच आवेदक प्रतिनिधि के समक्ष की गयी जिसमें मीटर एवं मीटरिंग इक्यूपमेन्ट सही पाये गये है ।

फोरम के समक्ष अप्रैल 2019 में शिकायत प्रस्तुत करते समय क्या आवेदक को स्थापित नियमों तथा माननीय आयोग के संबंधित विनियम के अनुसार शिकायतकर्ता का दर्जा प्राप्त था, के संबंध में आवेदक अधिवक्ता की ओर से कोई लिखित तर्क प्रस्तुत नहीं किया गया तथा विनियम

की कण्डिका 2.4(डी) सहपठित विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 2(15) के परिप्रेक्ष्य में उनका कथन है कि वह इस तथ्य को स्वीकार करते हैं कि फोरम के समक्ष आवेदक के प्रश्नाधीन उच्चदाब कनेक्शन के संबंध में अपने लिखित शिकायती पत्र दिनांक 25.04.2019 से शिकायत प्रस्तुत करते समय उन्हें इन विधिक प्रावधानों के अन्तर्गत शिकायतकर्ता का दर्जा प्राप्त नहीं था।

(05) प्रकरण में प्राप्त अपील उभयपक्षों द्वारा प्रस्तुत जानकारी तथा किये गये कथनों के आधार पर की गई विवेचना में निम्न तथ्य प्राप्त होते हैं कि :–

(1) आवेदक का उच्चदाब कनेक्शन आवेदक के लिखित आवेदन (नोटिस) दिनांक 01.10.2018 पर अनावेदक द्वारा दिनांक 31.10.2020 को स्थाई रूप से विच्छेदित किया गया था ।

(2) अनावेदक द्वारा जारी अक्टोबर 2018 के मासिक बिल, आवेदक की रीडिंग हेतु प्रतिमाह की 23 तारीख निर्धारित होने से दिनांक 23.10.2018 तक की खपत के लिए जारी किया गया था, अतः अनुबंध की शेष अवधि 24.10.2018 से 31.10.2018 तक की 7 दिन की अवधि के लिए अनावेदक द्वारा माह नवम्बर 2018 के लिए बिल जारी किया गया।

(3) आवेदक ने अपनी अपील में एम0डी0 अधिक दर्ज होने का कारण अगस्त 2018 में केबल में फाल्ट होना बताया है, जो कि उनके कथनानुसार बारिस और पानी की अवधि होने के कारण हुआ था । इस संबंध में अनावेदक का कथन है केबल में फाल्ट होने के कारण एम0डी0 अधिक दर्ज हो सकती है ।

(4) आवेदक के परिसर में तत्समय स्थापित मीटर तथा एम0डी0 का अनावेदक द्वारा आवेदक उपभोक्ता के प्रतिनिधि की पुष्टि में अपनी प्रयोगशाला में दिनांक 08.11.2019 का परीक्षण करने पर मीटर एवं एम0ई0 दोनों सही पाई गई । इस आधार पर अनावेदक द्वारा आवेदक के मीटर द्वारा दर्ज एम0डी0 के आधार पर ही बिलिंग को यथावत् रखा गया ।

(5) अनावेदक द्वारा आवेदक को माह नवम्बर 2018 का शुद्ध बिल समस्त समायोजनों पश्चात् 4,21,319/– रू0 के लिए जारी किया गया था जिसकी पुष्टि आवेदक ने फोरम को प्रस्तुत अपनी शिकायत के साथ संलग्न अपने पत्र दिनांक 21.12.2018 तथा 22.03.2019 में की है । फोरम ने अपने आदेश दिनांक 19.06.2019 में आवेदक का वाद अस्वीकार करते हुए बिल की राशि रू0 4,21,319/– एवं 'बी' फार्म की राशि 12/–

सहित कुल राशि 4,21,331/– शेष होकर आवेदक की वसूली योग्य निर्णित की थी, किन्तु अनावेदक के दिनांक 13.11.2029 को किए कथन अनुसार आवेदक द्वारा फोरम आदेश के बाद प्रकरण में अंतिम सुनवाई तक भुगतान योग्य बकाया राशि के विरूद्ध कोई भुगतान अनावेदक को नहीं किया गया तथा आवेदक पर 4,21,331/– रू0 की राशि यथावत् वसूली हेतु लंबित है ।

उक्त तथ्यों से निम्न निष्कर्ष प्राप्त होते हैं :–

(1) अनावेदक द्वारा अक्टूबर 2018 का बिल दिनांक 23.10.2018 तक की खपत के लिए जारी करने के बाद अनुबंध की शेष 7 दिनों की अवधि अर्थात् 24.10.2018 से 31.10.2018 की अवधि के लिए बिल जारी किया जाना म0प्र0 विद्युत प्रदाय संहिता 2013 तथा वर्ष 2018–19 के लिए जारी टैरिफ आदेश के अनुसार होकर उचित पाया जाता है ।

(2) आवेदक ने केबल में फाल्ट होने के कारण एम0डी0 अधिक दर्ज होने संबंधी अपने कथन के पक्ष में कोई तर्कसम्मत दलील का युक्ति–युक्त आधार प्रस्तुत नहीं किया, जिससे यह निर्विवाद रूप से सिद्ध हो कि केबल में फाल्ट होने के कारण ही आवेदक के मीटर में अधिक एम0डी0 दर्ज हुई थी, अतः आवेदक का यह कथन स्वीकार योग्य नहीं पाया जाता है ।

(3) दिनांक 31.10.2018 को आवेदक के उच्चदाब कनेक्शन का स्थाई विच्छेदन किए जाने के उपरांत आवेदक को अनावेदक अनुज्ञप्तिधारी के उपभोक्ता का प्राप्त दर्जा समाप्त हो चुका था, अतः फोरम के समक्ष फरवरी 2019 में शिकायत प्रस्तुत करते समय एवं अगस्त 2019 में विद्युत लोकपाल के समक्ष फोरम के आदेश के विरूद्ध अपील प्रस्तुत करते समय चूंकि आवेदक उपभोक्ता की श्रेणी में नहीं था । इस संबंध में 'मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण हेतु फोरम तथा विद्युत लोकपाल की स्थापना) (पुनरीक्षण प्रथम) विनियम 2009' की कण्डिका 2.4(डी) जो निम्नानुसार उद्धृत है, का अवलोकन किया गया ।

2.4 इन विनियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :

(डी) "शिकायत कर्ता (Complainant)" से अभिप्रेत है –

(i) अधिनियम की धारा 2 की कण्डिका (15) में परिभाषित उपभोक्ता; अथवा

(ii) नवीन संयोजन हेतु एक आवेदनकर्ता; अथवा

(iii) उपभोक्ताओं की कोई पंजीकृत संस्था; अथवा

(iv) उपभोक्ताओं की कोई अपंजीकृत संस्था, जहाँ उपभोक्ताओं का एक–समान हित हो;
अथवा
(v) उपभोक्ता की मृत्यु हो जाने की दशा में, उसका वैध उत्तराधिकारी या प्रतिनिधि;

उक्त कण्डिका में विनिर्दिष्ट प्रावधान अनुसार प्रस्तुत अपील के लिए आवेदक को शिकायतकर्ता के रूप में मान्य नहीं किया जा सकता है । इस प्रकार उनके द्वारा प्रस्तुत अपील विद्युत लोकपाल के क्षैत्राधिकार से बाहर होने के कारण उनके समक्ष प्रचलन योग्य नहीं पाई जाती है और इस आधार पर आवेदक की अपील निरस्त किया जाना न्यायोचित होगा ।

(2) फोरम द्वारा दिनांक 19.06.2006 को आदेश पारित करते समय आवेदक पर अनावेदक द्वारा जारी बिल के अनुसार रू0 4,21,331/– की राशि भुगतान हेतु बकाया थी, जिसके विरूद्ध आवेदक द्वारा प्रश्नाधीन अपील प्रस्तुत करने के पूर्व या प्रकरण की अंतिम सुनवाई तक, कोई भुगतान अनावेदक को नहीं किया गया। इस संबंध में 'मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण हेतु फोरम तथा विद्युत लोकपाल की स्थापना) (पुनरीक्षण प्रथम) विनियम 2009' की कण्डिका 3.37, जो निम्नानुसार उद्धृत है, का अवलोकन किया गया ।

''3.37 विद्युत लोकपाल के पास कोई भी अभ्यावेदन दर्ज नहीं होगा जब तक कि उपभोक्ता विहित रीति में, फोरम के आदेश के निबंधनों के अनुसार वह देय राशि का कम से कम आधी राशि का भुगतान न कर दे जो कि फोरम द्वारा जारी आदेश के अनुसार होगी तथा फोरम द्वारा शिकायत का निराकरण न होने की दशा में अनुज्ञप्तिधारी द्वारा देयकों के अनुसार देय राशि हो तथा उसका अभ्यावेदन सफल न होने की दशा में उसके द्वारा बकाया राशि पर अधिभार का भुगतान किये जाने हेतु सहमति व्यक्त कर दी गई हो ।''

उक्त कण्डिका 3.37 में विनिर्दिष्ट प्रावधान अनुसार आवेदक द्वारा बकाया राशि के न्यूनतम 50 प्रतिशत का भुगतान अनावेदक को किया जाना था जो आवेदक द्वारा नहीं किया गया, अतः आवेदक की अपील विधिक रूप से विद्युत लोकपाल के समक्ष प्रचलन योग्य नहीं पाई जाती है और इसको निरस्त किया जाना ही न्यायोचित होगा ।

(06) उपरोक्तानुसार प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर आवेदक की अपील अस्वीकार कर विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम इन्दौर–उज्जैन क्षैत्र का आदेश दिनांक 19.06.2019 यथावत् रखे जाने का निर्णय लिया जाता है । इस निर्णय के साथ प्रकरण निराकृत होकर समाप्त होता है ।

(07) उभय पक्ष प्रकरण में हुए अपने–अपने व्यय को स्वयं वहन करेंगे। आदेश की प्रति के साथ फोरम का अभिलेख वापस हो । आदेश की निःशुल्क प्रति के साथ पक्षकारों को अलग से सूचित किया जाए।

विद्युत लोकपाल